सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.09.2026

- **थाना बभनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता**
- **पैसा दोगुना-तिगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, ₹5,000 नगद, नोट के आकार के काले पेपर, केमिकल द्रव्य, फिटकरी, मोबाइल फोन व ठगी में प्रयुक्त सामग्री बरामद**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बभनी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना बभनी पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2026 को ग्राम **सागोबांध में पैसा दोगुना** करने का लालच देकर ठगी करने के प्रकरण से संबंधित **02 अभियुक्तों को गिरफ्तार** करते हुए उनके कब्जे से ठगी में प्रयुक्त सामग्री एवं ₹5,000 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2026 को थाना बभनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सागोबांध में अभियुक्तगण द्वारा **पैसा दोगुना करने का झांसा देकर वादी अमलेश कुमार** से ठगी करने का प्रयास किया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। उक्त संबंध में **थाना बभनी पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 318(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

कृत कार्यवाही-

दिनांक 14.09.2026 को थाना बभनी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 13.09.2026 को सागोबांध में ठगी करने वाले अभियुक्त पुनः ठगी की घटना को अंजाम देने की फिराक में **कूड़ादान टोला भाटीमहुआ के पास** मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त सामग्री तथा कुल ₹5,000 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में **धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी** की गई। अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों को **पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी** करते थे। इसके लिए उनके पास नोट के आकार के काले रंग के पेपर, केमिकल एवं फिटकरी आदि सामग्री रहती थी। अभियुक्तगण द्वारा पहले से कुछ नोटों को काला करके उन्हें केमिकल एवं फिटकरी से साफ कर नोट तैयार करने का झांसा देकर लोगों को विश्वास में लिया जाता था। दिनांक 10.09.2026 को उन्होंने **बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में कमरुद्दीन अंसारी से ₹30,000** तथा **रमेश प्रजापति से ₹30,000 की ठगी** की थी। अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2026 को **ग्राम सागोबांध में अमलेश कुमार** को भी इसी प्रकार झांसा देकर ठगी करने का प्रयास किया था, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **जैन प्रसाद पुत्र छोटेलाल** निवासी ग्राम सेमरी, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 42 वर्ष ।
2. **लक्ष्मीनारायण उर्फ परदेशी पुत्र स्व0 महंगूराम** निवासी ग्राम सेमरी, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 42 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- ₹5,000 नगद ।
- नोट के आकार के काले रंग के पेपर के 04 बण्डल।
- 03 प्लास्टिक की डिब्बियों में केमिकल द्रव्य।
- 03 गेरुए रंग की पन्नियों में फिटकरी।
- 01 पारदर्शी डिब्बी में फिटकरी का चूर्ण।
- 01 गम।
- 03 मोबाइल फोन।
- 01 मोटरसाइकिल ग्लैमर संख्या UP65EQ1238, जिसके कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया जा रहा है।
- ठगी में प्रयुक्त 01 काले रंग का बैग।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मक्खन लाल, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।
2. का0 सुधीर कुमार यादव, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।
3. का0 सुरेश कुमार, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।
4. का0 सुधाकर सिंह, चालक, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।